



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 अप्रैल, 2005 ई0
चैत्र 16, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 479/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 06 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 06 अप्रैल, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 15, सन् 2005 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन)
(प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2005
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 15, वर्ष 2005)

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन अधिनियम, 2005) (वर्ष 2005 की अधिनियम संख्या 13) में अग्रेतर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित:-

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

उत्तरांचल

अधिनियम

संख्या 13, वर्ष

2005 की

धारा 13 का

निकाला जाना

2. "उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 13 निकाल दी जायेगी।"

आज्ञा से,

आई0 जे0 मल्होत्रा,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (Emoluments and Pension of the State Assembly Members, Ministers and Officers) (First Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 15 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 06, 2005.

No. 479/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005

Dated Dehradun, April 06, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (EMOLUMENTS AND PENSION OF THE STATE
ASSEMBLY MEMBERS, MINISTERS AND OFFICERS)

(FIRST AMENDMENT) ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT No. 15 OF 2005)

Further to amend the Uttaranchal (Emoluments and Pension of the State Assembly Members, Ministers and Officers) (Amendment) Act, 2005 (Act No. 13 of 2005)

AN

ACT

Be it enacted by the State Assembly of Uttaranchal in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows:--

Short title

1. This Act may be called the Uttaranchal (Emoluments and Pension of the State Assembly Members, Ministers and Officers) (First Amendment) Act, 2005.

Omission of
Section 13 of
the
Uttaranchal
Act No. 13 of
2005

2. "Section 13 of the Uttaranchal (Emoluments and Pension of the State Assembly Members, Ministers and Officers) (Amendment) Act, 2005 shall be omitted."

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.